



अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं० : 06453-222001(का०)
06453-222102(आ०)
फैक्स सं० : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

वित्तीय वर्ष 2015-16 में रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु सरकार के निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 144(आवंटन)/कृ० दिनांक 01.12.2015 के द्वारा व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपन्न कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्मीक कोड-AGR-56 83, विषय शीर्ष-33 01-सब्सिडी के अन्तर्गत सामान्य जाति के लिए इस जिला को मो० 2,71,88,000.00 (दो करोड़ एकहत्तर लाख अठ्ठासी हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निम्नवत् सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपावंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	गेहूँ एवं रबी मक्का का कुल आच्छादन	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	13303	0.00 (शून्य)	5071000.00	5071000.00
2	फारबिसगंज	15885	0.00 (शून्य)	6055000.00	6055000.00
3	रानीगंज	8087	0.00 (शून्य)	3082500.00	3082500.00
4	नरपतगंज	8270	0.00 (शून्य)	3152000.00	3152000.00
5	जोकीहाट	7207	0.00 (शून्य)	2747000.00	2747000.00
6	पलासी	5473	0.00 (शून्य)	2086000.00	2086000.00
7	भरगामा	6283	0.00 (शून्य)	2395000.00	2395000.00
8	सिकटी	3555	0.00 (शून्य)	1355000.00	1355000.00
9	कुर्साकाँटा	3265	0.00 (शून्य)	1244500.00	1244500.00
कुल योग:-		71328	0.00 (शून्य)	27188000.00	27188000.00

1. उपावंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी होंगे।
2. यह उपावंटनादेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि०(2)] दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 5294, दिनांक 17.06.2015 के आलोक में निर्गत की जा रही है।
3. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. व्यय के तुरन्त बाद टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय। यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 10.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।
5. यह राशि सिर्फ रबी फसलों की सिंचाई हेतु आवंटित है। इस आवंटित राशि से खरीफ फसलों की सिंचाई में व्यय नहीं किया जाय।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया